न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनोज, (**RAS**)

राजस्व वाद संख्या :– 14/2023 GCMS 2023/29

वादी :–

1. अनिलसिंह पुत्र रेंवतसिंह जाति राजपूत निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर (राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. श्यामसुन्दर पुत्र कैलाशचन्द जाति जैन महाजन निवासी *G-73/4* पारा उद्यान, नरेला, दिल्ली
2. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि भूमिधारी तहसीलदार कुचामनसिटी जिला नागौर (राज.)

वाद पत्र बाबत घोषणा एवं भू–विभाजन अन्तर्गत धारा 88, 53 R.T.Act 1955

उपस्थित :–श्री अशोकपुरी अधिवक्ता वादी की ओर से।

निर्णय

दिनॉक :– 20/09/2023

वकील वादी ने बहस कर कथन किया कि वाद पत्र में प्राथमिक डिक्री तहसीलदार कुचामनसिटी ने पत्रांक/भू.अ./2023/1459 दिनॉक 18.09.2023 द्वारा मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनॉक 14.09.2023 को तैयार की गई। जो न्यायालय में प्राप्त होकर शामिल मिसल उपलब्ध है। बहस में वकील वादी ने बताया है कि माफिक बंटवारा स्कीम के अन्तिम डिक्री फरमावें। वकील वादी की बहस पर एवं वाद पत्र के संलग्न दिनांक 21.08.2023 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार कुचामनसिटी से बंटवारा स्कीम मंगवाई गई। नजरी नक्शा निम्न प्रकार से है

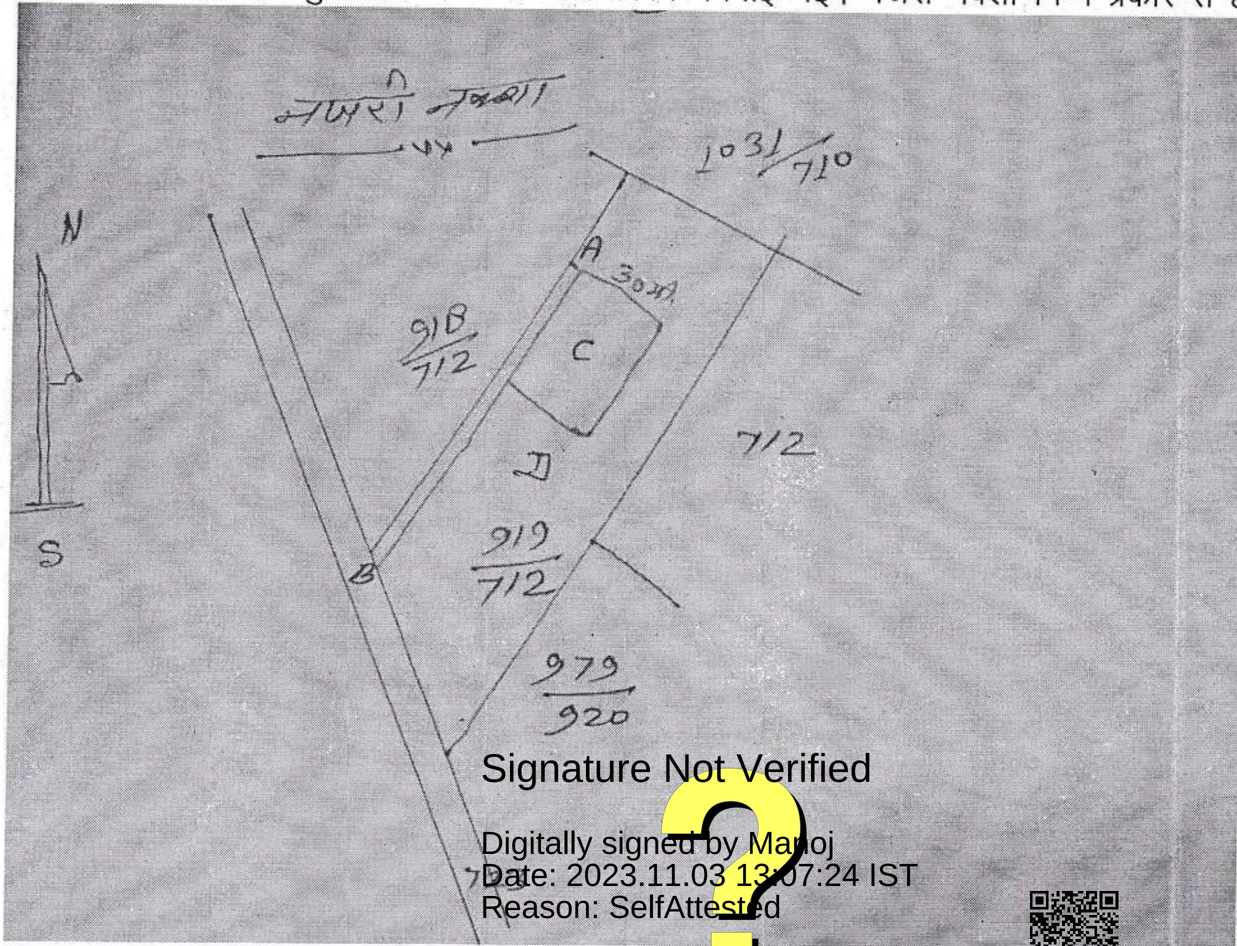

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:07:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत बंटवारा स्कीम प्रस्तुत कर कथन किया है कि ग्राम खारिया तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 919/712 रकबा 1.50 हैक्टर की खातेदारी राजस्व रिकार्ड अनुसार अनिलसिंह राठौड़ पुत्र रेंवतसिंह हि. 12/125 जाति राजपूत सा. कुचामनसिटी व श्यामसुन्दर पुत्र कैलाशचन्द हि. 113/125 जाति जैन सा. जी 73/4 पाना उद्यान नरेला दिल्ली के नाम दर्ज रिकार्ड है। मौका स्थिति व उपस्थित पक्षकारान व पड़ौसियों द्वारा बताये अनुसार मार्क बिन्दू **C** पर वादी का (रकबा 0.1290 हैक्टर), मार्क बिन्दू **D** पर प्रतिवादी का (रकबा 1.2110 हैक्टर) कब्जा काश्त है। मार्क बिन्दू **A-B** रास्ते के रूप में उपयोग आ रही है, जो कि वादी व प्रतिवादी की खातेदारी में यथावत रहना बताया गया। रास्ते की लम्बाई 174.8633 मीटर व चौड़ाई 9.15 मीटर (कुल क्षेत्रफल 1600 मीटर) है। वकील वादी की अन्तिम डिक्री हेतु बहस का मनन एवं संलग्न प्राथमिक डिक्री व तहसीलदार कुचामनसिटी से प्राप्त मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) का अवलोकन करने से न्यायालय का मत है कि खातेदारान/पक्षकारान का वाद काबिल अन्तिम रूप से डिक्री पाया जाने से निम्न प्रकार अन्तिम रूप से डिक्री जारी की जाती है।

आदेश

वाद अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर ग्राम खारिया तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 919/712 कुल रकबा 1.50 हैक्टर में नजरी नक्शानुसार वादी को 0.1290 हैक्टर तथा प्रतिवादी सं. 01 को 1.2110 हैक्टर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। 0.16 हैक्टर रास्ते के उपयोग हेतु नजरी नक्शा अनुसार गै.मु.रास्ता सरकारी दर्ज किया जावें। तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनॉक 14.09.2023 निर्णय का भाग रहेगी। अन्तिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल हो। बंटवारा पर देय स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनॉक 20/09/2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(मनोज,RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:07:24 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन (राज.)

बइजलास : मनोज,(R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या :– 14/2023 GCMS 2023/29

वादी :–

1. अनिलसिंह पुत्र रेंवतसिंह जाति राजपूत नि. कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर (राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. श्यामसुन्दर पुत्र कैलाशचन्द जाति जैन महाजन निवासी *G-73/4* पारा उद्यान, नरेला, दिल्ली
2. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि भूमिधारी तहसीलदार कुचामनसिटी जिला नागौर (राज.)

वाद पत्र बाबत घोषणा एवं भू–विभाजन अन्तर्गत धारा 88, 53 R.T.Act 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री अशोकपुरी अधिवक्ता हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रू–बरू .... मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि **वाद अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर ग्राम खारिया तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 919/712 कुल रकबा 1.50 हैक्टर में नजरी नक्शानुसार वादी को 0.1290 हैक्टर तथा प्रतिवादी सं. 01 को 1.2110 हैक्टर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। 0.16 हैक्टर रास्ते के उपयोग हेतु नजरी नक्शा अनुसार गै.मु.रास्ता सरकारी दर्ज किया जावें। तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनॉक 14.09.2023 निर्णय का भाग रहेगी। अन्तिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल हो। बंटवारा पर देय स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।**

निज .... मुबलिग .... बाबत...................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 20....माह 09.......... सन् 2023................ को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

(मुहर) उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:07:24 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन (राज.)

क्रमांक/कोर्ट/2023/ 194 दिनॉकः– 21-9.2023

प्रेषित :– तहसीलदार
कुचामनसिटी

विषय :– राजस्व वाद सं. 14/2023 **GCMS 2023/29** अनिलसिंह बनाम कैलाशचन्द वगैरह में पारित डिक्री आदेश की पालना बाबत।

–x– x–x–x –

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय के राजस्व वाद सं. 14/2023 **GCMS 2023/29** अनिलसिंह बनाम कैलाशचन्द वगैरह में पारित अन्तिम डिक्री आदेश की पालना बाबत प्रति भिजवाई जा रही है। राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर नक्शे में तरमीम करते हुए पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें।

सलंग्नः–उपरोक्तानुसार।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:07:24 IST
Reason: SelfAttested

138
18/9/23

R. Court
18/9/2023

आज़ादी का अमृत महोत्सव

राजस्थान सरकार

भीम

कार्यालय तहसीलदार (भू–अ.) कुचामन सिटी जिला डीडवाना–कुचामन

क्रमांक / भू–अ. / 2023 / 1459 दिनांक :– 18-09-2023

प्रेषित –

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
कुचामनसिटी

विषय – राजस्व प्रकरण वाद सं. 14 / 2023 अनिल सिंह बनाम कैलाशचंद वगैरह में पारित प्राथमिक डिक्री की पालना बाबत्।

प्रसंग – श्रीमान के पत्रांक कोर्ट / 2023 / 160 दिनांक 21.08.2023 के संदर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि राजस्व प्रकरण वाद सं. 14 / 2023 अनिल सिंह बनाम कैलाशचंद वगैरह में पारित प्राथमिक डिक्री अनुसार बंटवारा स्कीम भू.अ.नि. कुचामनसिटी व पटवारी हल्का खारिया की उपस्थिति में तैयार करवाई गई है।

अतः मूल ही बंटवारा स्कीम श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

तहसीलदार (भू.अ.) कुचामन सिटी
तहसीलदार(भू.अ.)कुचामनसिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:07:24 IST
Reason: SelfAttested

(1)

मौका रिपोर्ट
(विभाजन प्रस्ताव)

मैं महेन्द्र सिंह ....(नाम) तहसीलदार कु. सिटी न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी के आदेश कमांक/कोर्ट/2023/160 दिनांक 21.8.23 की पालना में भूमि के विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु आज दिनांक 14.9.23 समय ....बजे आराजी खसरा नम्बर- 919/712 वाके ग्राम खारिया.. पटवार हल्का खारिया..... पर श्री .... नायब तहसीलदार / भू अभिलेख निरीक्षक / पटवारी के साथ मौके पर पहुंचा।

न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी, कु. सिटी........ में विचाराधीन प्रकरण संख्या- 14/2023 के समस्त पक्षकारों को तहसील कार्यालय से नोटिस कमांक .... दिनांक .... द्वारा जारी किये गये थे जिनकी तामील विधिवत रूप से करवायी गयी। समस्त पक्षकारों में से मौके पर निम्न पक्षकार उपस्थित थे :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	वादी/ प्रतिवादी	
1.	अनिलसिंह	स/ो रेवन्तसिंह		राजपूत	वादी	अनिल सिंह

उपर्युक्त पक्षकारों की उपस्थिति में भूमि का मुआयना मौका किया गया एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम-1955 के नियम-18 से 21 के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये :-

पृष्ठ पीछे अंकन अनुसार

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:07:24 IST
Reason: SelfAttested

अनिल सिंह

Jagdish (जगदीशप्रसाद)

Yugal Soni (युगलकिशोर)

14.9.23
LLR कु. सिटी

14/09/23 P.T.O.

तहसीलदार (मु.अ.) कुचामन सिटी

14/09/2023
प० खारिया

(2)

नजरी नक्शा

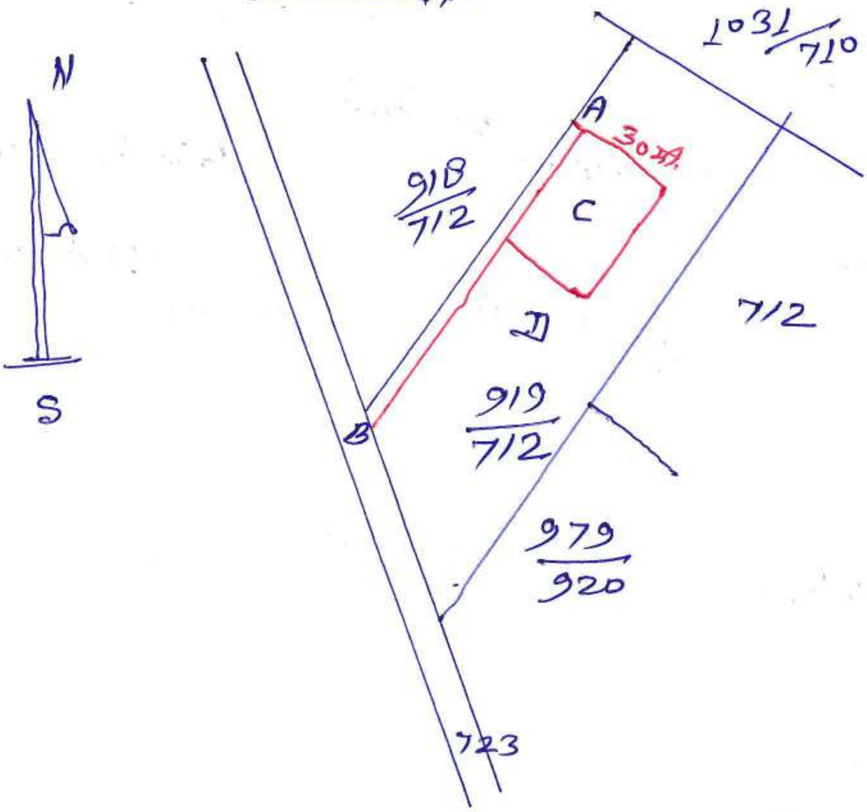

उपरोक्त नजरी नक्शानुसार ग्राम खारिया के ख. नं. 919/712 रकबा 1.50 हैं० की खातेदारी आज़ाद रिकॉर्ड अनुसार अनिलसिंह राठौड़ पुत्र देवसिंह हि. 12/125 जाति राजपूत सा. कुचामनसिटी व श्यामसुन्दर पुत्र कैलाशचन्द हि. 113/125 जाति जैन सा. पी 73/4 पाना उद्यान नरेला दिल्ली के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। मौका स्थिति व उपस्थित पक्षकार व पड़ोसियों द्वारा बताये अनुसार मार्क बिन्दु C पर वादी का (रकबा 0.1290 हैं०), मार्क बिन्दु D पर प्रतिवादी का (रकबा 1.2110 हैं०) कब्जा काश्त है। मार्क बिन्दु A–B रास्ते के रूप में उपयोग आ रही है जो कि वादी व प्रतिवादी की खातेदारी में यथावत रहना बताया गया। रास्ते की लम्बाई 174.8633 मी. व चौड़ाई 9.15 मी. (क्षेत्रफल 1600 मी.²) है। उपरोक्तानुसार माननीय न्यायालय आदेशानुसार बंटवारा स्कीम तैयार कर [illegible] गया व हस्ताक्षर करवाये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:07:24 IST
Reason: SelfAttested

Yugal Sanj
(युगलकिशोर)

14.9.23
IRकु. सिटी

14/09/2023
पट. [illegible]

14/09/23
तहसीलदार (भू.अ.) कुचामन सिटी

(3)

उक्त विभाजन प्रस्ताव मौके पर उपस्थित पक्षकारों और मौतबिरानों को पढ़कर सुनाये गये। मौके पर उपस्थित पक्षकारों ने पढ़, सुन एवं समझ कर निम्न प्रकार हस्ताक्षर किये :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	जाति	हस्ताक्षर	वादी/. प्रतिवादी.
1.	अनिलसिंह	श्री देवसिंह	राजपूत	अनिलसिंह	वादी

निम्न पक्षकारों ने विभाजन प्रस्ताव पढ़, सुनकर, समझ कर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	वादी/. प्रतिवादी.

— Nil —

मौके पर अन्य मौतबिरान को भी उक्त विभाजन प्रस्ताव पढ़कर सुनाये गये और निम्न प्रकार हस्ताक्षर करवाये गये :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	पता/ . मोबाईल नं..
1.	युगलकिशोर	s/o किशोरकुमार		मोदी	9829409411
2.	प्रताप सिंह	s/o हनुमानराम		कुमावत	9828305007

इस प्रकार आज दिनांक 14.9.23 को यह मौका रिपोर्ट तैयार की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:07:24 IST
Reason: SelfAttested

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
पटवारी	भू. अ. निरीक्षक	ना. तह.	तहसीलदार
पं. मं. रजनीया	वृत. कु. सिटी	....	तहसीलदार (भू.अ.) कूचामन सिटी